रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2015/श्रावण 9, 1937
No. 484] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2015/SRAVANA 9, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 602(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप–धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को अनुमोदित करती है, ताकि कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) विनियम, 2013 का संशोधन किया जा सके और इसे इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त संशोधन विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015

महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलकाता पत्तन का न्यासी मंडल एतद्द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) विनियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है बशर्ते कि उक्त अधिनियम की धारा 124 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन और राजपत्र में प्रकाशन किया जाता है ।

1. संक्षिप्त शीर्षक व प्रारंभ–

(i) ये विनियम कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 कहलाएंगे।

(ii) ये केंद्र सरकार के अनुमोदन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे, जैसा कि महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 व 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित है ।